प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण बाद सं० 50/12 – 13

श्याम कुँवर देवी वनाम् हरी मिस्त्री एवं अन्य

आदेश

4·3·13

आवेदिका श्याम कुँवर देवी पति स्व०सीताराम पासवान साकिन सतपुरा अंचल वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन का सीमांकन कराने का अनुरोध किया। विवादित भूमि जो मौजा सतपुरा थाना नं०03,थाना अरवल जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
16	758/1346	13 डी०	उ०–रास्ता द०– हरि मिस्त्री वो मेधा मिस्त्री पू०– रत्नेश्वर सिंह प०– रामायण सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्षों की सहमति से अंचल अमीन अरवल के द्वारा विवादित जमीन का नापी कराया गया और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट कर वाद की सुनवाई की गई। विपक्षीगण सुनवाई हेतु उपस्थिति नहीं हुए और वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदिका के पति के नाम से नवल किशोर शर्मा वो परमानंद शर्मा वो मिथलेश शर्मा पेसरान श्री राम शर्मा से दिनांक 08.06.05 को खरीदगी भूमि है जिसपर पूर्ण रूपेण आवेदिका का दखल कब्जा बना हुआ है। उक्त भूमि को विपक्षीगण के द्वारा मेड़ को तोड़ कर उक्त प्लॉट के अंश को मिला लिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर श्रीमान् के आदेशानुसार नापी भी कराई गई है और नापी में अतिक्रमण पाया गया है। अतः नापी रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका के क्रय भूमि पर पीलरिंग कराने का अनुरोध किया है।

अंचल अमीन द्वारा समर्पित नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि सर्वे प्लॉट नं०758 का नक्शानुसार रकवा 11 डी०से कसरे कम है जबकि आवेदिका के हकीयत कागजात पर रकवा 12 डी०बताया गया। इस प्रकार नक्शानुसार कुल 11 डी०भूमि पैमाईश कर सरजमीन पर चिन्हित की गई जिसे उपस्थित लोगों को दर्शा दिया गया है।

नापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विवादित जमीन खेसरा 758 का नक्शानुसार रकवा लगभग 11 डी०है जबकि आवेदिका के पति के द्वारा उक्त खेसरा के 12 डी०जमीन को

क्रय किया गया है। जहॉ खतियानी रकवा वो नक्शा रकवा में भिन्नता होती है,वहॉ नक्शा रकवा की मान्यता होती है। अतः आवेदिका को विवादित जमीन का मात्र 11 डी०जमीन ही प्राप्त होगी जिसे अंचल अमीन द्वारा चिन्हित कर दिया गया है। आवेदिका को निदेश दिया जाता है कि अंचल अमीन द्वारा चिन्हित जमीन का स्वयं पीलरींग करये और अगर उक्त पीलरींग में विपक्षीगण के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है तो वे अंचल अधिकार,अरवल के समक्ष आवेदन दें जिसपर अंचल अधिकारी,अरवल विधि पूर्वक कारवाई करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित

14.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

14.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।